



स्पीड पोस्ट

भारत सरकार  
Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. SD/22/STGMP/DELAAL/RU-III

दिनांक: 11-07-2018

सिटिंग नोटिस

विषय: डीनोटीफाईड भूमियों को वन भूमि बता कर आदिवासियों को भूमि के पट्टों से वंचित किए जाने बाबत (2) लगभग एक लाख जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय की भूमियों पर वन विभाग का जबरन कब्जा करने बाबत (3) अधिसूचित क्षेत्र के आदिवासियों को भूमि के अधिकारों से वंचित करने के बाबत (4) आदिवासियों को भूमि के सुधार की प्रक्रिया से वंचित करने के बाबत (5) अधिसूचित क्षेत्र के आदिवासी एवं उन्हें भूमि के अधिकारों से वंचित किया जाना के संबंध में— श्री संदीप दीक्षित, भूतपूर्व सांसद (लोकसभा), ग्राम गौरा, पो. बरखेड़ा नाथू, एम.पी. स्टेट शूटिंग एकेडमी के पास, नीलबड़, भोपाल (म.प्र.) का दिनांक 26-02-2018 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इन प्रकरणों में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 24-07-2018 को 15.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।
3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. कैं. दुबे)  
सहायक निदेशक  
दूरभाष-24615012

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,  
राजस्व विभाग,  
मध्य प्रदेश शासन,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन,  
भोपाल (मध्य प्रदेश)
2. प्रमुख सचिव,  
जनजातीय कार्य विभाग,  
मध्य प्रदेश शासन,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन,  
भोपाल (मध्य प्रदेश)
3. अपर मुख्य सचिव,  
वन विभाग,  
मध्य प्रदेश शासन,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन,  
भोपाल (मध्य प्रदेश)
4. कलेक्टर,  
जिला बैतूल,  
(मध्य प्रदेश)

प्रतिलिपि:

श्री संदीप दीक्षित, भूतपूर्व सांसद (लोकसभा), ग्राम गौरा, पो. बरखेड़ा नाथू, एम.पी. स्टेट शूटिंग एकेडमी के पास, नीलबड़, भोपाल (म.प्र.)

6113-17  
13.7.18  
ORC  
जारी किया  
ISSUED